24/12/08

(75)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR (LOCAL AUDIT WING), PATNA –800 001

No. L.A.Sur/ 1607

Dated: - 22.12.08

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Patna.

Sir.

Audit Report No.- **443/2008-09** on the accounts of **Nagar Panchayat, Piro** for the Period **2002-03 to 2007-08** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

(Bhairab Kumar)
Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

Encl: -As above

Forwading - Report sent to local offices

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–443/08–09

1. **प्रस्तावना :–**

नगर पंचायत पीरो, भोजपुर निधि का लेखा वर्ष 2002–03 से 2007–08 की अवधि का नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, बिहार, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 01.09.2008 से 30.09.2008 की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन :–**

अध्यक्ष :–	
(i) श्री जोनाथन मुर्मू, अनु0पदा0, पीरो	01.04.02 से 14.06.02
(ii) श्रीमति सीमा बानो	15.06.02 से 14.11.05
(iii) श्री राजेश केशरी, प्रभारी	15.11.05 से 18.12.05
(iv) श्रीमति उर्मिला देवी	19.12.05 से 08.06.07
(v) श्री मो0अख्तर खाँ	09.06.07 से 31.03.08
उपाध्यक्ष :–	
(i) श्री राजेश केशरी	15.06.02 से 05.03.06
(ii) श्री फारूख खाँ	06.03.06 से 08.06.07
(iii) श्रीमति मंजू देवी	09.06.07 से 31.03.08
कार्यपालक पदाधिकारी :–	
(i) श्री आसिफ एकराम, कार्य.दण्डा.सह विशेष पदा.	01.04.02 से 14.06.02
(ii) श्री राजेश्वर झा, कार्य.पदा.सह कार्य.दण्डा.	15.06.02 से 17.05.03
(iii) श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, प्र.वि.पदा.सह कार्य.पदा.	17.05.03 से 25.09.03
(iv) श्री कुबेर चन्द्र सिंह, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सह कार्य.पदा.	26.09.03 से 15.07.07
(v) श्री सुशील कुमार सिंह, प्र.वि.पदा. सह कार्य.पदा.	16.07.07 से 26.10.07
(vi) श्री भीम प्रसाद, कार्य.दण्डा.सह कार्य.पदा.	27.10.07 से 31.03.08

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र :-

लेखापरीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना लेखापरीक्षा की गयी अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के **परिशिष्ट I** पर तथा असंधारित/ अनुपलब्ध अभिलेखों की सुची **परिशिष्ट I** (क) पर दिया गया है।

4. लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ :-

क0सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	7	आवंटन पंजी, ऋण एवं अनुदान पंजी असंधारित
2	9	बजट प्रावधान
3	10	आंतरिक लेखापरीक्षा
4	13	सरकारी निधि को राजस्व हानि
5	14	कम दर पर दुकान किराया वसूली
6	15	मांग व वसूली (भवन कर)
7	16	सरकारी भवनों पर बकाया कर
8	17	सैरातों की बंदोबस्ती (राजस्व हानि)
9	20	दैनिक मजदूरी भुगतान
10	22	वार्ड पार्षदों को अनियमित पारिश्रमिक भुगतान
11	25	योजनाओं की भौतिक स्थिति
12	35	अग्रिम पंजी का संधारण नहीं, बड़ी राशि बकाया अग्रिम के रूप में

5. अधिदृश्य :-

नगर पंचायत पीरो (भोजपुर) केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं के स्त्रोतों से वित्त पोषित है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2007-08 के आय-व्यय का संग्रहित विवरण निम्नलिखित है :-

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
प्रारंभिक शेष	**1612077.48**	**1928870.48**	**2533983.48**
अनुदान	689889.00	1371499.00	752032.00

ऋण	90265.00	85651.00	–
स्वयं के स्त्रोत	293930.00	665717.00	551283.00
वर्ष की प्राप्ति	1074084.00	2122867.00	1303315.00
कुल प्राप्ति	**2686161.48**	**4051737.48**	**3837298.48**
स्थापना एवं अन्य व्यय	396627.00	841758.00	958577.00
योजना व्यय	360664.00	675996.00	1184170.00
कुल व्यय	**757291.00**	**1517754.00**	**2142747.00**
अन्त शेष	**1928870.48**	**2533983.48**	**1694551.48**
विवरण	**2005–06**	**2006–07**	**2007–08**
प्रारंभिक शेष	**1694551.48**	**2374775.48**	**5026053.48**
अनुदान	1141546.00	3607226.00	3314538.00
ऋण	75816.00	–	–
स्वयं के स्त्रोत	1148450.00	1091000.00	560002.00
वर्ष की प्राप्ति	2365812.00	4698226.00	3874540.00
कुल प्राप्ति	**4060363.48**	**7073001.48**	**8900593.48**
स्थापना एवं अन्य व्यय	1241208.00	1072431.00	1420430.00
योजना व्यय	444380.00	974517.00	2751005.00
कुल व्यय	**1685588.00**	**2046948.00**	**4171435.00**
अन्त शेष	**2374775.48**	**5026053.48**	**4729158.48**

(विभिन्न रोकड़ बहियों का आय–व्यय का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट II** पर)

बैंक खातों का अन्त शेष :–

क0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	पठन तिथि	राशि (रू0)
1	सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि., आरा	8682	20.03.08	22462
2	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, पीरो	3341	31.03.08	1487423

3	–तदैव–	6706	10.09.07	191237
4	–तदैव–	5659	10.09.07	4874
5	भारतीय स्टेट बैंक, आरा	0010000 50057	31.03.08	2440
6	कोषागार पास बुक, आरा	अनुपलब्ध	–	–
कुल				1708436

उपरोक्त सभी खातों का संचालन सभी मदों के लिए मिश्रित रूप से किया गया एवं योजना पर असमायोजित अग्रिम की प्रविष्टि रोकड़ बही में पायी गयी और कोषागार पासबुक भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण रोकड़ बही की पास बुक के अन्त शेष के साथ जांच नहीं की जा सकी।

रोकड़ बहियों का बैंक खातों से समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

6. <u>रोकड़ बही की त्रुटियाँ</u> :–

(क) रोकड़ बही में अन्त शेष (31.03.08) के रूप में कुल रू0 44,86,472.48 की प्रविष्टि पाई गई, जबकि अंकेक्षण की गणना में अन्त शेष रू0 47,02,158.48 पाया गया। कुल रू0 2,15,686.00 का अन्तर रोकड़ बही में जोड़ करने एवं अग्रेसित करने में हुई गलतीयों को सुधार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ख) नगर पंचायत निधि को अनेक खातों में रखा गया जिनमें से कई बिना संचालन के पाये गये, सभी राशि एक ही खाते में रखा जाये।

(ग) कोषागार पास बुक उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे रोकड़ बही के अन्त शेष की जांच नहीं की जा सकी, इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(घ) रोकड़ बही में आय एवं व्यय के सम्बन्ध में वर्गीकरण दर्ज नहीं पाये गये।

(ड.) रोकड़ बही में दर्शाये गये व्यय के लिए जारी किये गये चेक का चेक क्रमांक दर्ज नहीं था और ना ही चेक के अधपन्ने पर प्रविष्टि पाई गई।

(च) व्यय के समर्थन उपलब्ध अभिश्रवों में से अधिकांश में अभिश्रव संख्या दर्ज नही था, जिससे अधिकांश अभिश्रवों का मिलान रोकड़-बही से नहीं किया जा सका।

(छ) रोकड़ बही में मासिक एवं वार्षिक आय-व्यय का विवरण नहीं तैयार किया गया एवं न ही मासिक जोड़ किया गया।

(ज) रोकड़ बही निर्धारित प्रारूप में नही, बल्कि सामान्य रजिस्टर में संधारित किया गया।

(झ) योजनाओं पर दिये गये असमायोजित अग्रिम की प्रविष्टि रोकड़ बही में नही पायी गयी।

(ट) बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 67 के अन्तर्गत शीर्षवार आय एवं व्यय की विवरणी तैयार किया जाना उपबंधित है जो नहीं किया गया।

उपर्युक्त त्रुटियों के सुधार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

7. आवंटन :-

अनुदान/ऋण पंजी का संधारण नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया। रोकड़ बही की प्रविष्टीयों के आधार पर वर्ष 2002-03 से 2007-08 की अवधि में विभिन्न मदों/योजनाओं हेतु नगर पंचायत को जो आवंटन प्राप्त हुए, उसका विवरण **परिशिष्ट III** पर उपलब्ध है। रोकड़ बही में अधिकांश का पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं पाया गया, ना ही इसकी प्रविष्टि अनुदान, ऋण पंजी में किया गया एवं अधिकांश आवंटन का स्वीकृति पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपर्युक्त आवंटन (कुल रू0 1,05,81,864.00) के समर्थन में अनुपलब्ध पत्रों को अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय तथा इनकी प्रविष्टि अनुदान/ऋण पंजी में विहित रिति से करते हुए इनका विनियोग तैयार किया जाय तथा पूर्व में अव्यवहृत अनुदान का विवरण भी अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय।

8. अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क :-

वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2007-08 के दौरान नगर पंचायत निधि की प्राप्तियों के नमुना जांच में पाया गया कि अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राशि अंतिम तिमाही 2004 तक के लिए ही प्राप्त हुई है। पूर्व में हुई प्राप्तियों के आधार पर 31 मार्च 2008 तक के लिए कुल 13 तिमाही के लिए

(69)

कम से कम रू0 80,017.00 प्रति तिमाही की दर से कुल रू0 10,40,221.00 बकाया है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट III** के क्रमांक 3 एवं 28 पर दिया गया है।

उपरोक्त बकाया राशि की मांग के सम्बन्ध में उपनिबंधक बिहार, पटना से कोई पत्राचार किया गया हो, ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

किन परिस्थितियों में उपरोक्त राशि की मांग नहीं की गई, अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय एवं सक्षम पदाधिकारी को ध्यानाकर्षित किया जाता है कि नगर पंचायत, पीरो की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उपर्युक्त सम्बन्ध में यथोचित कदम उठाया जाय।

9. बजट प्रावधानः-

बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 71,72,एवं 73 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की संभावित आय-व्यय का प्राक्कलन वार्ड आयुक्तों की बैठक में विचारोपरान्त तैयार कर प्रकाशन वर्ष प्रांरभ होने के दो माह पूर्व किया जाना है तथा चौदह दिनों के उपरान्त उक्त प्राक्कलन को प्राप्त सुझावों के अनुसार यथा संशोधित अथवा मूल रूप में अनुमोदन कर सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना है।

उपर्युक्त उपबंधों के अनुरूप बजट तैयार नहीं किये गये/उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके कारण प्राक्कलित व्यवस्था के अनुसार आय व्यय की जांच नहीं की जा सकी। धाराओं के उपलबंध के अनुसार बगैर स्वीकृति के किया गया कुल व्यय नियमित नहीं था।

बिना बजट तैयार किये एवं स्वीकृत कराये अनियमित व्यय के कारणों को अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय। तथा भविष्य में बजट तैयार करने की प्रकिया अपनाया जाय।

10. आंतरिक लेखा परीक्षा :-

बिहार एवं उड़ीस नगर पालिका नियम एवं अधिनियम में आंतरिक अंकेक्षण का कोई स्पष्ट उल्लेख (उपबंध) नहीं किया गया। लेकिन बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 की धारा 20 एवं 66 तथा नगरपालिका लेखा नियमावली (रिकवरी ऑफ टैक्सेज) 1951 की धारा 29 से 39 के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा वार्ड-आयुक्तों की बैठक में इस

प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमित रूप से लेखाओं/अभिलेखों/पंजियों की आंतरिक जांच किया जाना है ताकि लेखाओं के संधारण की त्रुटियां एवं किसी भी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की संभावना को दूर किया जा सके।

पीरो नगर पंचायत के नमूना लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि इस तरह की आंतरिक जांच की व्यवस्था नहीं की गयी, जिसके कारण लेखाओं/अभिलेख के सधांरण में त्रुटियां, आवश्यक अभिलेखों का संधारण नहीं तथा आय-पक्ष में राशियों की दयनीय वसूली एवं कम जमा/नहीं जमा जैसी अनियमितताएँ पायी गयी जिनकी चर्चा विभिन्न संबंधित कंडिकाओं के माध्यम से की जा रही है। साथ ही बगैर सामंजन के अग्रिम की अगली किस्त का भुगतान किया जाता रहा जो 31.03.08 को बढ़कर काफी बड़ी राशि हो गयी।

अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत आंतरिक जांच की व्यवस्था किया जाय ताकि भविष्य में इस तरह की वित्तीय अनियमितताओं की संभावना ना हो।

11. भवन कर की राशि जमा नहीं :-

मकान कर, जल कर एवं शौच कर की राशि रू0 15,244.44 की वसूली फार्म 'एच0 रसीदों' के द्वारा शुल्क वसूलकर्त्ताओं के द्वारा की गई, परन्तु इसे दैनिक वसूली पंजी एवं पी0एल0खाते में जमा नहीं पाई गई

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट IV** पर)

विवरण के अनुसार कुल राशि रू0 15,244.44 संबंधित शुल्क संग्रहकर्त्ता से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाय तथा जमा को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

12. कम जमा :-

दुकान किराया से सम्बन्धित दैनिक वसूली पंजी एवं रोकड़पाल रोकड़ बही के नमूना जांच में पाया गया की रसीद संख्या 253 से 262 द्वारा की गई वसूली के लिए दिनांक 11.04.07 को रोकड़पाल द्वारा दैनिक वसूली पंजी से रू0 9,200.00 प्राप्ति की गई परन्तु रोकड़पाल रोकड़ बही में मात्र 9,000.00 रू0 की प्रविष्टि की गई।

उपरोक्त कम जमा की राशि रू0 200.00 रू0 रोकड़पाल से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा कराया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

13. सरकारी निधि को राजस्व हानि :-

भवन कर से संबंधित मांग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका विहित संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। लेखा परीक्षा में रोकड़पाल रोकड़ बही की जांच में भवन कर की वसूली के विवरण निम्न प्रकार पाये गये :-

क0 सं0	वर्ष	गृह कर (रू0)	शिक्षा उपकर (रू0)	स्वास्थ्य उपकर (रू0)	कुल (रू0)
1	2002-03	46314.84	23153.60	23153.60	92622.04
2	2003-04	51452.38	25767.69	25767.69	102987.76
3	2004-05	23757.72	3889.91	3889.91	31067.54
4	2005-06	53757.86	26354.12	26354.12	106466.10
5	2006-07	62144.14	31085.54	31085.54	124315.22
6	2007-08	86007.91	43015.94	43015.94	172039.79
	कुल	**322964.85**	**153266.80**	**153266.80**	**629498.45**

अंकेक्षण टिप्पणी :-

(i) वर्ष 2004-05 के दौरान शिक्षा-उपकर एवं स्वास्थ्य-उपकर शीर्ष में कुल रू0 15,507.90 (23287.72-3889.91-3889.91) की कम वसूली कर सरकारी खाते में जमा योग्य राशि की राजस्व हानि पहुंचाया गया।

उपर्युक्त कम वसूली किन परिस्थितियों में किया गया, अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय तथा कम वसूल की गयी राशि की वसूली संबंधित व्यक्तियों से किया जाय।

(ii) वर्ष 2002-03 से 2007-08 की अवधि में शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली गयी राशि को सरकारी खाते के संबंधित शीर्ष में वसूली शुल्क 10% काटकर शेष 90% जमा किये जाने चाहिए थे लेकिन इन मदों में वसूली की गयी राशि को सरकार के खाते मे जमा नहीं किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

मद	उपकर की वसूली (रू0)	10% वसूली शुल्क (रू0)	जमा योग्य राशि (रू0)
शिक्षा उपकर	153266.80	15326.68	137940.12
स्वास्थ्य उपकर	153266.80	15326.68	137940.12
कुल			275880.24

उपर्युक्त विवरण के अनुसार सरकारी खाते के उचित शीर्ष में जमा योग्य राशि रू0 2,75,880.24 जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

(iii) भवन कर की राशि में शौचालय एवं जल कर की राशि सम्मिलित नहीं पाई गई, जिससे बड़ी राशि के राजस्व की हानि हुई।

किन परिस्थितियों में शौच-कर एवं जल कर को आरोपित नहीं किया गया, अगले अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाय तथा इन्हें आरोपित किये जाने की उचित प्रकिया अपनायी जाय।

14. कम दर से दुकान किराया वसूली :-

नगर पंचायत की बैठक पंजी एवं उसमें लिये गये निर्णयों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या-70/2002-03 की कंडिका 30 के अनुसार 17.11.02 को नगर पंचायत बैठक में रू0 3.50 प्रति वर्ग फीट की दर से दुकान किराया वसूली का निर्णय लिया गया था, परन्तु किराया वसूली 200.00 रू0 प्रति माह की दर से की गई, निम्नानुसार निर्धारित दर से कम है:-

क0 सं0	दूकान सं0 एवं क्षेत्रफल	दुकानों की सं0	आवंटन तिथि	मार्च08 तक कुल माह	मार्च08 तक कुल किराया (@3.50/ फीट^2)	मार्च08 तक की गई वसूली (@200/ दुकान)	कम वसूली
1	1(60फी^{2})	1	अगस्त 2000	92	19320	18400	920
2	2से64(80फी^{2})	63	अगस्त 2000	92	1622880	1159200	463680
3	65से125(80फी^{2})	61	अप्रैल 2005	36	614880	439200	175680

(65)

4	126से130(80फी^{2})	5	अगस्त 2007	8	11200	8000	3200
	कुल	130			2268280	1624800	643480

उपरोक्त रू0 6,43,480.00 की कम वसूली किन परिस्थितियों में की गई, यह स्पष्ट नहीं किया गया और न ही किसी संशोधित निर्णय के अभिलेख उपलब्ध कराये गये।

उपर्युक्त कम वसूली की राशि रू0 6,43,480.00 जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

15. मांग व वसूली (भवन कर) :-

मांग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया/उपलब्ध नहीं कराया गया। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर मांग व वसूली का वर्षवार विवरण **परिशिष्ट V** पर उपलब्ध है।

अंकेक्षण टिप्पणी :-

(क) विवरणी से स्पष्ट है कि मांग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत काफी कम है एवं बहुत बड़ी राशि लम्बे समय से बकाया चली आ रही है।

(ख) वर्ष 2007-08 तक की कुल बकाया राशि रू0 5,56,707.71 की वसूली के लिए विहित/कनूनी प्रकिया अपनाई जाय।

(ग) लेखा परीक्षा अवधि में मांग स्थिर पाई गई, स्पष्ट है की इस दौरान निर्मित मकानों पर करारोपण नहीं किये गये।

(घ) नगर पालिका अधिनियम 1922 की धारा 106 एवं 107 में उपबंधित है कि गृह कर की दरें कम से कम पांच वर्ष के अंतराल पर संशोधित होनी चाहिए। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 1983 के बाद दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया।

(ड.) रोकड़ बही की प्रविष्टि एवं पूर्व के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 70/2002-03 की कंडिका 24 अनुसार मांग व वसूली के आंकड़ो एवं कार्यालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ो में काफी विविधता पाई गई। जबाब में बताया गया कि अन्य कइ करों की प्रविष्टि भी रोकड़ बही में गृह कर के रूप में की गई, परन्तु वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

उपरोक्त तथ्यों को अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय एवं सक्षम पदाधिकारी को ध्यानाकर्षित किया जाता है कि मांग व वसूली पंजी का संधारण करवाने के साथ-साथ नगर पंचायत पीरो की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उपर्युक्त तथ्यों के सन्दर्भ में कारगर कदम उठाएँ।

16. सरकारी भवनों पर बकाया कर :-

सरकारी भवनों से सम्बनिधत करों की मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण वर्षवार वसूली एवं बकाया कर कितने वर्षो से लंबित थी, ज्ञात नहीं की जा सकी। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ो के अनुसार दिनांक 31.03.08 तक विभिन्न सरकारी भवनों पर कुल बकाया कर रू0 71,846.23 थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट VI** पर देखा जा सकता है।

उपर्युक्त बकाया करों की राशि रू071,846.23 की वसूली के लिए विहित/कानूनी प्रकिया अपनाई जाय ताकि नगर पंचायत निधि को हो रहे राजस्व हानि को कम किया जा सके।

17. सैरातों की बन्दोबस्ती :-

सैरातों से सबंधित भूमि एवं सम्पति पंजी का संधारण नहीं किया गया/उपलब्ध नहीं कराया गया एवं सभी संबंधित संचिकाएँ भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। उपलब्ध संचिकाओं के अनुसार वर्ष 2002-03 से 2007-08 के दौरान की गई सैरातों की बन्दोबस्ती का विवरण **परिशिष्ट VII** पर देखा जा सकता है।

अंकेक्षण टिप्पणी :-

(क) डाक के लिए न्यूनतम राशि के निर्धारण में काफी विविधता पाई गई, कई प्रकरणों में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम पाई गई। जबकि न्यूनतम राशि का निर्धारण पिछले तीन वर्षो की औसत राशि से 10% बढ़ाकर निर्धारित की जानी चाहिए। अनियमित निर्धारण के कारणों को अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

(ख) विवरण से स्पष्ट है कि तीन बन्दोबस्तियों में डाक की राशि से कुल रू0 1,49,400.00 की कम जमा पाई गई। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाई या कानूनी कार्यवाई के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। रू0 1,49,400.00 जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलनीय है।

(63)

(ग) बाजार ट्रॉल्स के लिए 2003-04 की बन्दोबस्ती प्रारम्भ में 27,000 रू0 में की गई जिसे रद्ध कर पुनः रू0 1,60,000.00 में दुसरी बन्दोबस्ती की गई। दुसरे बन्दोबस्ती से प्राप्त हुई राशि रू0 1,06,000.00 वापस करते हुए बन्दोबस्ती रद्ध कर विभागीय वसूली द्वारा कुल रू0 51,052.00 की वसूली की गई। रद्ध किये जाने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया।

इस प्रकार विभागीय वसूली करने से कुल रू0 1,08,948.00 (160000-51052) की राजस्व हानि हुई ही साथ में एक कर्मचारी को कार्यरत करने से उसके वेतन का व्यय भी अतिरिक्त वहन करना पड़ा।

इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। उक्त राशि रू0 1,08,948.00 जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलनीय है।

(घ) बस स्टैन्ड के बन्दोबस्ती की संचिका की जांच में पाया गया कि दिनांक 02.12.02 से 14.12.02 तक के वसूली के लिए 700.00 रू0 प्रति दिन की दर से 13 दिन का कुल रू0 9,100.00 ठेकेदार श्री जावेद खाँ पिता हेजामुद्दीन खाँ से प्राप्त करने थे, जिसकी वसूली अब तक नहीं की गई एवं ना ही कोई कानूनी कार्यवाही के अभिलेख उपलब्ध कराये गये।

उपर्युक्त राशि रू0 9,100.00 जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलनीय है।

(ड.) बस स्टैन्ड की बन्दोबस्ती 2003-04 के बाद एवं मदेशी फाटक की बन्दोबस्ती 2002-03 के बाद नहीं की गई और ना ही इसका कारण स्पष्ट किया गया। इस प्रकार पूर्व की बन्दोबस्ती के आधार पर कम से कम रू0 49,650.00 (9100 X 4 + 2650 X 5) की राजस्व की हानि हुई जो जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

उपर्युक्त विन्दुओं के अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय एवं उपरोक्त कुल रू0 3,17,098 की वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों से किया जाय तथा पंचायत निधि के उचित शीर्ष में जमा कर अगले लेखा परीक्षा को दिखलाया जाय।

18. मांग एव वसूली (दुकान किराया) :-

नगर पंचायत द्वारा आवंटित दुकानों के किराये से संबंधित मांग व वसूली का वर्षवार विवरण **परिशिष्ट VIII** पर उपलब्ध है। नमूना जांच में पाया गया की जैसा कि विवरणी में स्पष्ट है दिनांक 31.03.08 तक कुल रू0 3,08,400 किराये के एवं रू0 88,209.00 बिलम्ब शुल्क के रूप में बकाया थे। विवरणी से स्पष्ट है

कि मांग के विरुद्ध वसूली का प्रतिशत काफी कम है, जिनमें से कई मांग तो कई वर्षो से लंबित है। इतने पुराने बकाया के लिए न तो कोई कानूनी कार्यवाही की गई और न ही आवंटन रद्ध किया गया।

दुकानदारों से किये गये अनुबन्ध में किराया समय से नहीं प्राप्त होने पर एक रूपया प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क वसूली का प्रावधान किया गया, जांच में पाया गया कि किराया काफी समय बाद प्राप्त होने पर भी विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई, जिसके कारण राजस्व की हानि के साथ-साथ विलम्ब से किराया भुगतान को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। विलम्ब शुल्क नहीं वसूल करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया।

सक्षम पदाधिकारी को ध्यानाकर्षित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाएँ, साथ ही विवरणी के अनुसार कुल बकाया राशि रू0 3,96,609.00(308400+88209) की वसूली सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।

19. खतरनाक व्यवसाय अनुज्ञप्ति शुल्क :-

खतरनाक व्यवसाय अनुज्ञाप्ति शुल्क के मांग व वसूली पंजी के जांच में पाये गये मांग एवं वसूली सम्बन्धि विवरण निम्न प्रकार है :-

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
बकाया मांग	150	-	550
वर्त्तमान मांग	2940	3765	4185
कुल	3090	3765	4735
वसूली	शून्य	3215	3635
शेष	3090	550	1100

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
बकाया मांग	1100	2145	4630
वर्त्तमान मांग	5035	5485	5485
कुल	6135	7630	10115
वसूली	3990	3000	2700
शेष	2145	4630	7415

(61)

उपर्युक्त आंकड़ो से स्पष्ट है कि मांग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत काफी कम है एवं नगर पंचायत क्षेत्र के सभी खतरनाक व्यवसाय पर शुल्क का आरोपण नहीं किया गया है।

नगर विकास विभाग (बिहार सरकार) के पत्रांक 3193 दिनांक 11.09.91 एवं प्रेक्षा में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2000 में सरकार के एक अन्य पत्र (अंकेक्षण में अनुपलब्ध) द्वारा सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वर्तमान समय में मूल्य वृद्धि एवं स्थापना व्यय को ध्यान में रखते हुए शुल्क वसूली संशोधित दरों से की जाय,परन्तु सरकारी निर्देश की अवहेलना करते हुए दरें अब तक संशोधित नहीं की गई।

सक्षम पदाधिकारी का ध्यानाकर्षित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करों में संशोधन, मांग में नये खुले व्यवसायों को शामिल करने एवं बकाया राशि रू0 7415 की वसूली के सम्बन्ध में कारगर कदम उठायें।

20. दैनिक मजदूरी भुगतान :-

सरकार के अवर सचिव के पत्रांक 9827/20.12.76, 7204/24.11.77, 2785/11.05.78, 3520/02.08.88, 4052/15.12.90, 1231/06.05.92 एवं 639/16.03.06 द्वारा दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया गया। नगर पंचायत निधि के नमूना लेखा परीक्षा में यह पाया गया की नियमित रूप से दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों को भुगतान किया गया। लेखापाल रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार वर्ष 2002-03 से 2007-08 के दौरान कुल रू0 5,87,112.00 दैनिक मजदूरी पर व्यय किये गये।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट IX** पर)

अभिश्रव की अनुपलब्धता एवं रोकड़ बही में कार्य दिवस अंकित नहीं होने के कारण मजदूरों का कार्य दिवस ज्ञात नहीं हो सका, विवरणी के अनुसार अभिश्रवों को जांच हेतु अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बार-बार निर्देश मिलने के बाद भी सरकारी आदेश की अवहेलना की जा रही है। सरकारी आदेश की अवहेलना किन परिस्थितियों में की गई तथा उपर्युक्त भुगतान के सम्बन्ध में विहित प्रावधान एवं

सक्षम स्वीकृति अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय तब तक कुल राशि रू0 5,87,112.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

21. विलोपित :-

22. पारिश्रमिक अग्रिम भुगतान :-

अभिश्रवों की नमूना जांच में पाया गया कि वार्ड पार्षदों को रू0 5000.00 प्रति की दर कुल रू0 85,000.00 का भुगतान पारिश्रमिक अग्रिम के रूप में किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट X** पर उपलब्ध है।

उक्त भुगतान के समर्थन में न तो कोई विहित प्रावधान और न ही सरकार की सक्षम स्वीकृति पाई गई। अनियमित भुगतान की कुल राशि रू0 85,000.00 विवरण के अनुसार जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

23. जमा पंजी/ वापसी :-

रोकड़ बही के अवलोकन से यह पाया गया कि वर्ष 2002-03 से 2007-08 की अवधि में विभिन्न व्यक्तियों को कुल रू0 1,37,726.00 की राशि वापस किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट XI** पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त भुगतान/वापसी के समर्थन में न तो जमा पंजी उपलब्ध कराया गया और न ही जमा राशि के समर्थन में किसी भी स्थिति को स्पष्ट किया गया। अगले अंकेक्षण में जमा पंजी उपलब्ध कराते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट किया जाय, तब तक उपर्युक्त कुल राशि रू0 1,37,726.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

24. यात्रा-व्यय :-

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा व्यय के समर्थन में उपलब्ध कराये गये अभिश्रवों के नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 15.12.03, 16.12.03, 17.12.03, 19.12.03 एवं 08.01.04 को अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा पटना उच्च न्यायालय की यात्रा के लिए 1000.00 रू0 प्रति दिन की दर से रू0 5000.00 गाड़ी भाड़ा के लिए भुगतान किया गया।

उपर्युक्त व्यय के समर्थन में यात्रा के प्रयोजन, व्यय के लिए सक्षम स्वीकृति एवं प्रावधान अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया, अतः उक्त राशि रू0 5000.00 जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलनीय है।

(59)

25. योजनाओं की भौतिक स्थिति :-

क0 सं0	मद	योजना वर्ष	कार्यान्वित योजनाओं की सं0	पूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं की प्रा0 राशि (लाख में)	अपूर्ण योजनाओं पर अग्रिम (लाख में)
1	स्व.ज.श.रो. यो.	2002-03	11	8	3	0.70	0.50
2	-तदैव-	2005-06	5	5	-	-	-
3	-तदैव-	2006-07	9	9	-	-	-
4	रा.गं.वस्ती विकास परियोजना	2002-03	3	1	2	1.14	0.88
5	-तदैव-	2006-07	3	3	-	-	-
6	नगर पंचायत मद	2003-04	3	3	-	-	-
7	-तदैव-	2004-05	2	2	-	-	-
8	-तदैव-	2005-06	12	11	1	0.22	0.18
9	-तदैव-	2006-07	6	6	-	-	-
10	-तदैव-	2007-08	10	6			
11	एकादश वित्त मद	2004-05	14	14	-	-	-
12	-तदैव-	2005-06	2	2	-	-	-
13	द्वादश वित्त मद	2006-07	5	5	-	-	-
14	-तदैव-	2007-08	5	5	-	-	-
15	पथों का निर्माण/ जिर्णोद्धार	2007-08	12	12	-	-	-
कुल			**102**	**92**	**10**	**3.78**	**2.76**

विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट XII** पर दिया गया है।

लेखा परीक्षा टिप्पणी :-

(क) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :-

(i) इस मद में वर्ष 2002-03 से 2007-08 की अवधि में कुल 25 योजनाओं का चयन किया गया, जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 12,94,777.00 थी, जिसमें योजना संख्या 1/02-03, 2/02-03, 10/02-03 जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 70,100.00 (36,300.00+23,750.00+10,050.00) थी, इसके विरूद्ध अभिकर्त्ताओं को 49,509.00 (27,009.00+17,500+5,000.00) का अग्रिम भुगतान किया गया। छः वर्ष की अवधि के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। अतः इन योजनाओं पर किया गया कुल व्यय जवाबदेह व्यक्तियों से वसूल किया जाये।

(ii) अभिश्रव संख्या 28/22.06.02 द्वारा रूपये 33,000 का भुगतान शाखा प्रबंधक, भोजपुर रोहतास ग्रामिण बैंक, पीरो के नगरीय मजदूर कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदान की राशि भुगतान करने हेतु किया गया।

उक्त के संबंध में ऋण हेतु चयन किये गये उम्मीदवारों की सूची, बी0पी0एल0 सूची में उनका क्रमांक, व्यवसाय का प्रकार तथा बैंक द्वारा अभी तक भुगतान किये गये ऋण एवं आर्थिक सहायता (Subsidy) की राशि, ऋण की वसूली इत्यादि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय, तब तक भुगतान की राशि रू0 33,000.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(iii) अभिश्रव संख्या 114/11.01.07, 161/01.03.07 एवं 71/21.05.07 द्वारा क्रमशः 25,000.00+50,000.00+67,000.00 कुल रू0 1,42,000.00 का भुगतान मिथिला विकास आश्रम को स्वरोजगार हेतु महिलाओं (67,000.00) एवं अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु भुगतान किया गया। इस संबंध में क्रियान्वित कार्यक्रम एवं प्राप्त उपलब्धियों के साथ प्रशिक्षणार्थियों की सूची एवं राशि की उपयोगिता का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय, तब तक कुल रू0 1,42,000.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(iv) स्वरोजगार योजना हेतु दवा दुकान चलाने के प्रयोजन से श्री ओमप्रकाश गुप्ता को रू0 35,000 ऋण की स्वीकृति दिया गया। नमूना जांच में पाया गया कि

(57)

अभिश्रव संख्या 162 दिनांक 19.12.02 द्वारा रू0 5250.00 आर्थिक सहायता (Subsidy) के रूप में भुगतान किया गया।

उपर्युक्त के संबंध में अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय कि श्री गुप्ता इस योजनान्तर्गत ऋण+अनुदान की अर्हता को पूर्ण करते थे, इस संबंध में आवेदन का अग्रसारण ऋण की स्वीकृति एवं भुगतान, ऋण की वसूली इत्यादि का विवरण अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(ख) गंदी वस्ती विकास योजना :–

इस मद में रू0 3,26,000 का प्राक्कलित राशि से कुल 6 योजनाओं का चयन किया गया, जिनमें से योजना संख्या 01/02–03 एवं 02/02–03 जिसकी प्राक्कलित राशि क्रमशः रू0 73,800 एवं रू0 39,700 थी, रूपये 60,000 एवं 27,500 के अग्रिम भुगतान के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया गया, जबकि एकरारनामा के अनुसार कार्य को 01.07.02 एवं 11.07.02 तक पूर्ण कर लेना था। परिणामस्वरूप योजना को परिव्यक्त छोड़ दिया गया, अतः सम्बन्धित अभिकर्त्ताओं से भुगतान की राशि कुल रू0 87,500 वसूल कर परिषद निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ग) एकादश वित्त मद :–

इस मद की रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2005–06 के अन्त शेष की राशि रू0 96,204 व्यवहृत किया जाय अथवा आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में स्वीकृतदाता प्राधिकारी को वापस किया जाय।

(घ) द्वादश वित्त मद में विचलन :–

द्वादश वित्त मद के व्यय के समर्थन में प्रस्तुत अभिश्रवों के अवलोकन से यह पाया गया कि रू0 1,30,370 का व्यय सफाई मजदुरों को दैनिक मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क0सं0	अभिश्रव सं0/दिनांक	राशि (रू0)
1	124/08.11.07	19650
2	135/13.12.07	19620
3	141/05.01.08	25140
4	142/07.01.08	840
5	146/12.02.08	26970

6	151/07.03.08	27150
7	188/20.03.08	11000
	कुल	130370

उपरोक्त राशि के विचलन से संबंधित प्रावधान अथवा सक्षम स्वीकृति उपलब्ध नहीं करायी गयी, अनियमित व्यय के कारणों को अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय, तब तक उपर्युक्त कुल राशि रू0 1,30,370 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

26. <u>स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना</u> :-

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में निम्नलिखित उपबंध किये गयेः-

(i) प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक विकास समितियों का गठन किया जाना, जो सर्वेक्षण करके अपने-अपने क्षेत्रों में अनुपलब्ध बुनियादी सेवाओं एवं अपेक्षित बुनियादी सेवाओं की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर क्रमशः दो सूचियाँ 'ए' और 'बी' बनायेगी। प्राथमिकता निर्धारण का यह काम अंतिम होगा।

(ii) नगर गरीबी उन्मुलन कोषांग पूरे नगर के लिये अलग-अलग दोनों सूचियों का समेकन एवं प्राक्कलन तैयार करायेगा।

(iii) योजना की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति गुण-दोष की जांच कर नगर निकाय प्रदान करेगा। येाजना की स्वीकृति के प्रत्यायोजन हेतु नगर निकाय अपनी अनुशंसा के साथ डुडा को भेजेगा।

(iv) सी0डी0एस0 एवं नगर निकाय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर डुडा न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं पर निधियों के 200 प्रतिशत तक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।

(v) सी0डी0एस0 एव यू0पी0एस0 सेल द्वारा अनुशंसित योजनाओं की ही स्वीकृति नगर निकाय अथवा डुडा द्वारा किया जा सकेगा।

(vi) निर्माण का कार्य सी0डी0एस0 के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। स्थानीय निकाय सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा।

(vii) कार्यक्रम (यू0बी0एस0पी0) ढ़ाचे पर उपर्युक्त सामुदायिक संरचना पर निर्भर रहेगा।

(55)

(viii) निर्माण संबंधी कार्य सामुदायिक विकास समिति जैसे गैर सरकारी संगठन के माध्यम से ही किया जाये। कार्य की गुणवत्ता एवं नियंत्रण, पर्यवेक्षण शहरी निकाय द्वारा कराया जायेगा।

(ix) आवंटित राशि का व्यय शहरी निकायों के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों के क्षेत्र में किया जायेगा।

नमूना लेखा परीक्षा में उपर्युक्त मार्गदर्शिका का पालन नहीं पाया गया, कार्य विभागीय अभिकर्त्ताओं द्वारा ही निष्पादित किया गया।

योजनाओं की सूची के अवलोकन से यह पाया गया की वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान कुल 24 योजनाएं स्व0ज0श0रो0यो0 के अन्तर्गत कार्यान्वित की गई, जिनमें से योजना संख्या 02/2002-03 एवं 10/2002-03 अपूर्ण थी दोनों अपूर्ण योजनाओं के अभिकर्त्ता श्री फयाजुद्दीन खां (सेवानिवृत) थे, दोनों के कुल प्राक्कलित राशि रू0 60,050 के विरुद्ध कुल रू0 44,509 अग्रिम के रूप में भुगतान किये गये थे।

उपर्युक्त अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कर अग्रिम का सामजन किया जाय या रू0 44,509 को सम्बन्धित अभिकर्त्ता से वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। साथ ही उपर्युक्त बिन्दुओं को अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय कि मार्गदर्शिका के अनुरूप योजनाओं का कार्यान्वयन क्यों नहीं किया गया।

<u>कार्यान्वित योजनाओं में पायी गयी अनियमितताएँ</u> :-

(क) योजना संख्या - 3/2005-06

योजना का नाम - वार्ड नं0 2 में शिवजी के घर से सिपाही जी के घर तक ईंट सोलिंग एवं नाली निर्माण।

अभिकर्त्ता - श्री निजामुद्दीन खां

प्राक्कलित राशि - रू0 74,700

मापी पुस्तिका की राशि - रू0 74,229

भुगतान :-	
नगद	70782.00
खनन कर	478.00
बिक्री कर	2969.00
कुल रू0	**74229**

(54)

भुगतान योग्य राशि :-	
प्राप्त मस्टर रॉल	24288.00
अभिश्रव	46494.00
कुल रू0	**70782.00**

अधिक भुगतान =74229.00-70782.00=3447.00

इसके अतिरिक्त स्टोन चिप्स (गिट्टी) के क्रय पर 202 घनफीट के लिए 283.20%cft की दर से खनन कर की कटौती की राशि रू0 572.00 की कटोती नही की गई।

उपर्युक्त कुल राशि रू0 4019.00 (3447+572) की वसूली सम्बन्धित अभिकर्त्ता से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ख) योजना संख्या - 4/2005-06

योजना का नाम - वार्ड नं0 3 में अजीम खां के घर से शुहाबुदीन खां लड़न खाँ, डोमन खाँ, जहाँगीर खाँ के घर होते हुए हुसैन खां के घर तक नाली निर्माण

अभिकर्त्ता - श्री निजामुद्दीन खां

प्राक्कलित राशि - रू0 78215

मापी पुस्तिका की राशि - रू0 78135

भुगतान (कर सहित) - रू0 78,135

प्राप्त मस्टर रॉल	36308.00
अभिश्रव	41907.00
कुल रू0	78215.00

इस कार्य के समर्थन में प्राप्त अभिश्रवों में क्रय की तिथि अंकित नहीं पाई गई एवं मस्टर रॉल में भी श्रम दिवस दर्ज नही पाया गया और ना ही योजना का विवरण ही मस्टर रॉल में अंकित था।

उपर्युक्त अनियमितताओं के कारण कार्य का निष्पादन संदेहास्पद प्रतित होता है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाय एवं वस्तुस्थिति से अगले अंकेक्षण को

(13)

अवगत कराया जाय तब तक भुगतान की कुल राशि रू0 78,135 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(ग) योजना संख्या – 1/2006–07

योजना का नाम – वार्ड नं0 8 में सुधा क्लेमेन्टिना से लालु राईम, नईम शेख, करीम खां, इब्राइल के घर तक नाली निर्माण।

अभिकर्त्ता – श्री निजामुद्दीन खां

प्राक्कलित राशि – रू0 88500

मापी पुस्तिका की राशि – रू0 83304

भुगतान (कर सहित) – रू0 82304

प्राप्त मस्टर रॉल	19034.00
अभिश्रव	64514.00
कुल रू0	83321.00

इस कार्य के समर्थन में प्राप्त अभिश्रवों में क्रय– तिथि अंकित नहीं पाई गई एवं मस्टर रॉल में श्रम–दिवस और मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

उपर्युक्त अनियमितताओं के कारण कार्य का निष्पादन संदेहास्पद प्रतित होता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाय एवं वस्तुस्थिति से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय, तब तक भुगतान की कुल राशि रू0 82,304 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

27. <u>विलोपित</u>

28. <u>खनन कर एवं बिक्री कर की जमा :–</u>

विभिन्न मदों से सम्बन्धित योजना पंजी के नमूना जांच में पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कार्यान्वित योजनाओं में उपयोग किये गये सामग्री के लिए रू0 1,13,080.00 की कटौती खनन शेष के रूप में एवं रू0 1,03,111.00 की कटौती बिक्री कर के रूप में की गई।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट XIII** पर)

जिसके जमा के अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराये गये।

उपर्युक्त कुल राशि रू0 2,16,191.00 को सरकारी खाते के उचित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

29. पथ निर्माण/जिर्णाद्धार योजना :-

योजना सं0 - 11/07-08

योजना का नाम - भोला राम के घर से राजेन्द्र राम के घर तक ईंट सोलिंग एवं पी0सी0सी0।

प्राक्कलित राशि - रूपये 186500.00

अभिकर्त्ता - श्री सिपाही चौधरी

अभिश्रव	147500.00
मजदूर नामावली	37999.00
कुल	**185499.00**

भुगतान :-	
नगद	174943.00
बिक्री कर कटौती	5235.00
खनन शेष कटौती	5303.00
कुल	**185481.00**

निष्पादित कार्य का मुल्य रू0 1,62,963.00 अधिक भुगतान रू0 22,518.00

उपर्युक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री के क्रय पर वाणिज्य कर एवं खनन शेष की कटौती कम दर पर किया गया, प्रयुक्त सामग्री एवं इन पर की जाने वाली कटौती का विवरण निम्न प्रकार है।

क0 सं0	सामग्री	मात्रा	मूल्य (रू0)	कटौती योग्य	
				वा0कर (रू0)	खनन शेष (रू0)
1	ईट	10800	25056	1002	216
2	सिमेंट	324बैग	63358	7920	-
3	सोनवालू	810cft	11437	457	573
4	स्टोन चिप्स	1620 cft	42849	5356	4585
5	मिट्टी	960 cft	4800	-	-
				14735	5374
की गयी कटौती				5235	5303
कुल				**9500**	71